



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in, ई मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-03/2019 खण्ड

1935 /पटना, दिनांक 23/11/2019

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह- जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:

प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2019 के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के कार्य के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है की प्राधिकार के पत्रांक 1779 दिनांक-09.11.2019 द्वारा पर्यवेक्षकों के नियुक्ति एवं कार्य के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा किये जाने वाले कार्य के संबंध में प्राधिकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गई है। प्राधिकार के उक्त पत्रांक में उल्लिखित किया गया है कि पर्यवेक्षक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों (नामांकन से लेकर मतदान तक) के साथ-साथ मतगणना कार्य पर भी गहरी नजर रखेंगे। साथ ही तीन विभिन्न अवसरों पर प्रतिवेदन भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ प्रमंडलीय आयुक्त/प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगे।

उक्त आलोक में स्पष्ट करना है कि पर्यवेक्षकों का कार्य नामांकन से प्रारंभ होगा, जो कि मतदान एवं मतगणना के बाद अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तक जारी रहेगा। अतः अनुरोध है कि इस आशय की जानकारी सभी पर्यवेक्षकों को उपलब्ध करा दी जाय।

पर्यवेक्षकों को तीन विभिन्न स्तरों पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है। पर्यवेक्षक तीन स्तरों पर प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह- जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह- जिला पदाधिकारी तीन अलग-अलग स्तरों पर प्राप्त प्रतिवेदनों की अलग-अलग समीक्षा करेंगे और समीक्षोपरान्त जिन प्रतिवेदनों पर प्राधिकार का ध्यान आकृष्ट करना हो उसे समेकित कर तीन दिनों के अन्दर प्राधिकार को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन,

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

ज्ञापक: 1935

पटना, दिनांक 23/11/2019

प्रतिलिपि: सभी नोडल पदाधिकारी (स० स०) -सह- उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।